Mukesh Soni & Associates
ARCHITECTURE, INTERIOR DESIGN, PROJECT MANAGEMENT

mukesh3982@gmail.com
Phone: +91-9828723800, 0141-2729631
14, saraswati nagar A, malviya nagar, jaipur 17

पत्र क्रमांक– CTP/JDA/2025/03/04
दिनांकः 27.03.2025 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

Mr. Purshottam Kr Gupta
KHASRA NO- 2532/760, 2535/2479, 2541/2471, 2543/2481
VILLAGE- SIRSI, JAIPUR

विषयः– भूखण्ड़ संख्या KHASRA NO- KHASRA NO- 2532/760, 2535/2479, 2541/2471, 2543/2481 क्षेत्रफल 1355.78 वर्गमीटर जो कि VILLAGE- SIRSI, JAIPUR के अन्तर्गत हैं उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत्।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड़ संख्या KHASRA NO- KHASRA NO- 2532/760, 2535/2479, 2541/2471, 2543/2481 क्षेत्रफल 1355.78 वर्गमीटर जो कि VILLAGE- SIRSI, JAIPUR के अन्तर्गत हैं उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले–आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड़ का निरीक्षण कर लिया गया हैं प्रश्नगत भूखण्ड़ का भू उपयोग (आवासीय) स्वीकृ योजना के अनुरूप है। भूखण्ड़ का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया हैं तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड़ का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न हैंः–

I. भूखण्ड़ का नाप व क्षेत्रफल As Site Plan 1355.78 वर्गमीटर
II. प्रस्तावित भवन का प्रयोजनः– आवासीय
III. भूखण्ड़ के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार)ः– 18 M (South)
IV. भवन के पैरामीटर्स साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसारः–

क्र.स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबेक (मी.)		
	(अ) सामने	3.05 मी.	3.05 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	4.57 मी.	4.57 मी.
	(स) पार्श्व द्वितीय	4.57 मी.	4.57 मी.
	(द) पीछे	4.57 मी.	4.57 मी.
2.	आच्छादित क्षेत्र	सैटबेक क्षेत्र के अन्दर	सैटबेक क्षेत्र के अन्दर
3.	भवन की ऊचाई एवं प्रस्तावित मंजिलो की संख्या	(18 मी.)	(18 मी.) B+S+6
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	वर्गमीटर	7214.12 वर्गमीटर
5.	बी.ए. आर क्षेत्रफल	2711.56 वर्गमीटर	5582.18 वर्गमीटर
6.	पार्किंग (अ) बेसमेंट		कार – 0 T.W – 0
	(ब) भू–तल	कार– T.W –	कार – 25 T.W – 0
	(स) स्टिल्ट	–	कार – 40 T.W – 41

Ar. Mukesh Soni
LG-1, Uttam Aashiana, 14 Saraswati Nagar-A, Malviya Nagar, JAIPUR
CA/2012/56713
CTP RAJ./Architects/2021/15

SHRI BALAJI INFRATECH

PARTNER

V. फ्लोर एरिया का विवरणः–

	G.B.U.A.	B.A.R
a) Basement floor	160.13 Sq Mtr	152.13 Sq Mtr
b) Stilt floor	973.52 Sq Mtr	050.57 Sq Mtr
c) First floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
d) Second floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
e) Third floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
f) Fourth floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
g) Fifth floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
h) Sixth floor	948.80 Sq Mtr	896.58 Sq Mtr
i) Staircase Mumty	387.67 Sq Mtr	----
Total	**7214.12 Sq.M.**	**5582.18 Sq.M.**

2. भवन अनुज्ञा अवधि 7 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी। भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण प्रारम्भ करना आवश्यक है।

3. रेरा राजस्थान के नियमानुसार रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागो द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से निमयानुसार प्राप्त की जानी है।

4. भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद (पड़ोसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा) हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यो हेतु समस्त हर्जा खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।

5. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड़ धारी द्वारा नही किया गया हैं तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।

6. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता हैं तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे से सूचित करूंगा।

7. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम–2020 के मानदण्डों एवं विनियमो की न तो गलत व्याख्या की गयी हैं एवं न ही भवन मानचित्र बनतो समय कोई तथ्य छिपाया गया हैं। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता हैं तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।

8. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पुर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पस्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड़ सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्ही प्रतिबन्धों से प्रभावित नही है।

9. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता हैं।

10. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ–पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत् विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड़ के आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्नः अनुमोदित मानचित्र।

Ar. Mukesh Soni
LG-1, Uttam Aashiana, 14 Saraswati Nagar-A, Malviya Nagar, JAIPUR
CA/2012/56713
CTP RAJ./Architects/2021/15

आकिटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रषित हैंः–
उपायुक्त (जोन 7) जयपुर विकास प्राधिकरण

SHRI BALAJI INFRATECH

PARTNER

Ar. Mukesh Soni
LG-1, Uttam Aashiana, 14 Saraswati Nagar-A, Malviya Nagar, JAIPUR
CA/2012/56713
CTP RAJ./Architects/2021/15

आकिटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील